

अज अदालत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)

मुकाम

जोधपुर

प्रार्थी

प्रकाश नाहटा पुत्र स्व० जसराज नाहटा, उम्र 63 वर्ष, निवासी बेलवा खत्रियां, ग्राम पंचायत बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर हाल निवासी वार्ड नं० 9, गुण्डर देही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़।

अप्रार्थी

1. जेठाराम पुत्र जुगताराम, उम्र 48 वर्ष, निवासी बेलवा खत्रियां, ग्राम पंचायत बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत बेलवा खत्रियां, जरिये सरपंच।

किस्म मुकदमा पंचायत निगरानी

नं.

10

सन् 2022

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुए   |
|------------|---|--|
| 19.04.2022 | <p>प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 पंचायत निर्णय दिनांक 20.01.2018 बअन्तर्गत मिसल संख्या 17 एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 20.01.2018 ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। पंचायत निगरानी के स्थगन प्रार्थना-पत्र व अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम मय शपथ-पत्र पेश किया है। अतः प्रस्तुत पंचायत निगरानी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>अतः प्रस्तुत पंचायत निगरानी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी हो जो प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दिये जाए। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकॉर्ड प्राप्त कर, पत्रावली वास्ते तामिली रिपोर्ट देखने हेतु दिनांक 27.04.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अपर जिला कलक्टर (प्रथम)<br/>जोधपुर।</p> |  |
| 27-4-22    | <p>पत्रावली आज पेश हुई जाकी प्रकाश नाहटा मय अधिवक्ता श्री मोती सिंह व श्री सुरेश सिंह उप०। अपुकी संख्या 01 श्री जेठाराम स्व० उपदिष्ट। अपुकी सं० 01 की ओर से आदेश श्री सुरेश जोशी ने वकालतनामा पेश किया।</p> <p style="text-align: right;">अपर जिला कलक्टर (प्रथम)<br/>जोधपुर</p>  | <p style="text-align: right;">जेठाराम<br/>पत्रावली</p> |

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) का नाम जोधपुर  
 प्रकाश नाहरा बनाम जेठाराम कौरा  
 पंचायत निगरानी 10 सन् 2022

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुकम की तामील  
 में जारी हुए

निगरानीकार प्रकाश नाहरा एवं अप्राची  
 संख्या 01 जेठाराम ने दिनांक 26-04-2022  
 को राजीनामा मय शपथ पत्र पेश कर  
 बतलाया कि न्यायालय के समक्ष विचारधीन  
 निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान  
 पंचायती राज अधिनियम, 1994 पंचायत  
 नियम दिनांक 20-01-2018 व अन्तर्गत मिलल  
 संख्या 17 एवं उसके अनुसरण में अप्राची  
 संख्या 01 के नाम जारी पट्टा संख्या  
 17 दिनांक 20-01-2018 जो ग्राम पंचायत  
 बेलवा पंचायत समिति बालेसर, जिला  
 जोधपुर द्वारा जारी किया गया, के दिखद  
 पेश की गई है।

उक्त पंचायत निगरानी में निगरानीकार  
 प्राची व अप्राची संख्या 01 के मध्य  
 लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो  
 गया है। माफिक राजीनामा दोनों पक्षकार  
 उपरोक्त निगरानी स्वीकार करने के लिए  
 सहमत हैं एवं ग्राम पंचायत बेलवा द्वारा  
 जारी निगरानीधीन पट्टा विलेख को निरस्त  
 करवाने हेतु दोनों पक्षकार सहमत हैं। प्राची  
 प्रकाश नाहरा की पहचान उनके अधिवक्ता  
 श्री मोनी सिंह व अप्राची सं. 01 जेठाराम की  
 पहचान उनके अधिवक्ता श्री सुरेश जोशी ने  
 की।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

प्राची व अप्राची स. 01 दोनो इस बात से सहमत हैं कि निगरानीधीन पट्टा में वर्णित जायदाद प्राची / निगरानीकार की पैलूक जायदाद है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत बेलवा डारा प्राची / निगरानीकार के पिता स्व. जलराज नाथ के पक्ष में दिनांक 20-10-1961 को जारी हुआ है जिसे दोनो पक्ष लही व सनद मानते हैं अप्राची स. 01 भविष्य में जैर निगरानी पट्टा के आधार पर कोई कलेम नही करेगा एवं उक्त पट्टे में वर्णित जायदाद के सम्बन्ध में निगरानीकार के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नही करेगा अप्राची स 01 इस बात के लिए भी सहमत हैं कि पट्टा स. 17 के सम्बन्ध में निरस्तीकरण का नोट ग्राम पंचायत बेलवा खजियां एवं उप पंजीयक बालेशाह के कार्यालय में दर्ज करवायेगा। एवं भविष्य में जैर निगरानी पट्टा स. 17 की भूमि एवं पट्टे के दस्तावेज के आधार पर निगरानीकार के दिखूह कोई हानिवाही नही करेगा व निगरानीकार के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नही करेगा। अतः उपरोक्त माफिक राजीनामा निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन पट्टा दिलेख को निरस्त किया जावे एवं निगरानीकार के पिता के नाम से जारी पट्टा दिनांक 20-10-1961 को सम्पुष्ट किया जावे।

हमने पञ्जवली पर उपलब्ध दस्तावेज व राजीनामा का अवलोकन किया। राजीनामा के अनुसार यह तथ्य निर्विवादित है कि

अकर जिला कलेक्टर (प्रथम)  
बोधपुर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

निगरानीधीन पट्टे की शक्ति का पूर्व में एक अन्ध पट्टा दिलेख प्राची/निगरानीका प्रकाश नाट्य के पिता स्व० जशराज नाट्य के पट्टा में दिनांक 20-10-1961 को जारी किया हुआ है प्राची व अप्राची 01 के महय लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है तथा दोनों निगरानीधीन पट्टे को निरस्त करवाने के लिए सहमत है अतः उपरोक्त विवेचनानुसार व माफिक राजीनामा पचापत निगरानी स्वीकार की जाकर पचापत निर्दिष्ट दिनांक 20-1-2018 कखन्वगत मिसल स. 17 एवं उसके अनुसरण में अप्राची सरपंच 01 जेठाराम को जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 20-01-2018 को ग्राम पचापत द्वैलदा खजिदा द्वारा जारी किया गया, जो निरस्त किया जाता है आदेश की एक प्रति ग्राम पचापत को भीजवाई जावे। पन्नावली फैसल मुफ्त होकर पासिल फलत ही

बपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर